देता है। बिजली से चलने वाले करघा-एककों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी के लिए दिये जाने वालों अग्रिमों को रकम एकक की आवश्यकता के अनुसार मंजूर की जाती है न कि किन्हीं निश्चित सीमाओं के अनुसार। इस लिये विभिन्न स्थानों पर स्थित एककों के बीच कोई भेद-भाव किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। इस क्षेत्र में बिजली से चलने वाले करघों के लिए बड़े पैमाने पर वित्त-व्यवस्था करने में स्टेट बैंक को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक बड़ी कठिनाई यह है कि इनमें से अधिकांश एककों में रंगदार साड़ियां तैयार की जाती हैं जिनके उत्पादन पर वस्त्र आयुक्त ने प्रतिबन्ध लगा रखा है क्योंकि यह मद हथकरघा क्षेत्र के लिये सुरक्षित रखी गयी है। ऐसा भी पता चला है कि कुछ करघे बेनामी धारकों के नाम से चल रहे हैं।

हाल में, भारतीय स्टेट बैंक ने एक योजना शुरू की है जिसके अधीन बैंक बिजली से चलने वाले करघों के ऐसे बुनकरों को ऋण देगा जो सहकारी समितियों के सदस्य होंगे। वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र सहकारी समितियों की सिफारिशों पर लिये जाते हैं। 31 मार्च, 1970 तक स्टेट बैंक की बुरहानपुर स्थित शाखा ने ऐसे 136 एककों को सहायता दी है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 8.38 लाख रुपये की रकम की मंजूरी दी गयी थी और 31 मार्च, 1970 को 2.04 लाख रुपये की रकम बकाया थी।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिजली से चलने वाले करघों के मालिकों को दिये गये ऋण के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बता दी गयी है। बिजली से चलने वाले करघों के चालकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक को जो प्रार्थना-पत्र दिये जायेंगे, उन पर स्टेट बैंक अवश्य विचार करेगा, बशर्ते कि वे करघा-चालक ऐसी मदों का उत्पादन न करते हों जिन पर प्रतिबन्ध लगा हो।

Central share in Financing of Protected Water Supply Scheme in Uttar Pradesh

1200. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state the share of the Central Govenment towards the financing of protected water supply scheme in the villages of U.P. for the year 1970-71 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : From 1969-70 onwards, central assistance is being given as block loans and block grants without reference to any particular scheme or head of the Development. It is for the State Government to draw up priorities, allocate funds and execute the various schemes.

12.00 hrs.

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT QUERY

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको मालूम होगा कि मैंने भी और हमारे पंद्रह बीस और मेम्बरों ने एक एडजर्नमेंट मोशन दी है प्राइस राइज के बारे में। गवर्नमेंट ने सोप की कीमतें बढ़ाई हैं, डालडा की बढ़ाई हैं। ड्रग्ज की बहुत-सी कीमतें बढ़ गई हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। यहां दिल्ली में...

Mr. SPEAKER : I have not allowed that.

श्री कंवरलाल गुप्त : हम यहां आते किस लिए हैं अगर लोगों की आवाज यहां नहीं

सुनी जाएगी। लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। कीमतें बढ़ रही है। सरकार की मदद करने के लिए तो यहां हम नहीं बैठे हैं। अगर इतनी इम्पार्टेंस की यह बात नहीं है तो हमारे यहां बैठने का फायदा क्या है?

Mr. SPEAKER : It is not an adjournment motion. I have not accetped it.

श्री कंवरलाल गुप्त : सारी पार्टीज ने मिलकर एडजर्नमेंट मोशन है। दी मेरी प्रार्थना है कि आप कोई क्राइटीरिया तो बताइये। सारी जगह हाहाकार मच रहा है। लोगों को दिल्ली में दवाएं नहीं मिल रही हैं। दूकानें बन्द पड़ी हैं।

श्री शिवनारायण (बस्ती): हम एम्बैरेस करना नहीं चाहते। लेकिन दो घन्टे का डिस्कशन तो इस पर आप रख ही सकते हैं।

SHRI PILOO MODY (Godhra) : I had an impression that you would accept an adjournment motion on the nationalisation of the cotton trade. That time you said that after the no confidence motion was disposed of, this matter could come up. So, we waited. You even chided us for not coming and seeing you. I thought you would reconsider, but you have disallowed it.

Mr. SPEAKER : There is a ruling already that after the no confidence motion, all the previous adjournment motions lapse. I asked you to come to the Business Advisory Committee, so that we could find time.

SHRI PILOO MODY : It is because the original one lapsed, that I put in another one.

Mr. SPEAKER : No, no. After that, we cannot accept that.

श्री कंवरलाल गुप्त : कल ही हमने दिया है। पहले तो दिया नहीं। पंद्रह मेम्बरों ने दिया है।

श्री हुकमचन्द कछवाय (उज्जैन): अविश्वास प्रस्ताव पर बहस समाप्त हो जाने के बाद क्या घर जाकर बैठना चाहिये? क्या कोई बात ही नहीं करनी चाहिये? अगर कोई समस्या खड़ी हो जाती है, अगर दवाइयों के दाम बढ़ जाते हैं, तो यहां पर क्या उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिये?

अध्यक्ष महोदय : कैसी बात कर रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो गया है। उसके बाद सरकार ने साबुन के दाम बढ़ाए हैं, उसके बाद सरकार ने वनस्पति के दाम बढ़ाए हैं, उस पर हम सरकार की निन्दा कर सकते हैं, आप से चर्चा के लिए समय मांग सकते हैं। अब जब दाम बाद में बढ़े हैं तो अविश्वास प्रस्ताव का हवाला देकर, हमारे प्रस्ताव को रद्द कर देना, सदन के साथ न्याय करना नहीं होगा।

Mr. SPEAKER : The House is bound by its rules and conventions. It is not my personal ruling. I am bound by these rules. I shall place it before the Business Advisory Committee, and we can find time for discussion of at least a few important motions like cotton.

श्री कंवरलाल गुप्त : राइज आफ प्राइसिस के मामले में हम गवर्नमेंट को सैंशर करना चाहते हैं। हम डिस्कशन नहीं चाहते। हम सैंशर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो दाम बढ़े हैं, उनके ऊपर एक कालिंग एटेंशन मोशन आप एडमिट कर लेंगे?

अध्यक्ष महोदय : कर लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय से कहें कि वह वक्तव्य दें। फिर चर्चा के लिए समय रखें।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग एटेन्शन से बात बनती है। मैं इसको एलाउ कर दूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि दो मुख्य मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, एक था केरल के चुनावों के बारे में मतदाता सूचियां और दूसरा था प्रधान मंत्री के हाथ में अधिक अधिकारों का लिया जाना। इनके अतिरिक्त जो और बातें एडजर्नमेंट मोशन की शक्ल में दी गई थीं उनके बारे में आपने आश्वासन दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव की समाप्ति के बाद उन पर आप विचार करेंगे। आप जो आश्वासन दे चुके हैं कम से कम उस आधार पर ही आपको विचार करना चाहिये :

अध्यक्ष महोदय : आश्वासन मैंने यह नहीं दिया कि मैं एडजर्नमेंट मोशंज एक्सेप्ट कर लूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपने कहा था कि विचार करूंगा।

MR. SPEAKER : The adjournment motion was only to express lack of confidence. The other things do not form part of the motion. There was no hard and fast line for discussion on it.

श्री शिव नारायण : मैंने एडजर्नमेंट मोशन नहीं दिया लेकिन प्राइज राइज के बारे में दो घंटे का डिस्कशन आप करवा दें।

12.06 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

British Governments decision to resume arms Sale to South Africa

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent public importance and request that he may make a statement thereon ;

"British Government decision to resume arms sale to South Africa."

THF MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH) ; The Government of India are greatly concerned about the British Government's declaration of intent to resume the sale of arms to South Africa. Government are in no doubt that the total effect of this shift in British Policy will be to reinforce the racist regime in South Africa; Instead of bringing stability, peace and security to the reason, it will add to the existing tensions. Furthermore, such a shift will affect the security and vital interests of a great number of countries in Africa and Asia, some of whom are also members of the Commonwealth. The proposed British decision would also be in utter disregard of the U. N. resolutions banning the sale of south Africa.

In announcing their intention, the British Government invoked the so-called Simonstown Agreement concluded in 1955 which accorded Britain certain facilities at the Simonstown naval base for the defence of the sea routes round South Africa, Britain and South Africa agreed to co-operate in defence of the sea routes through their respective maritime forces. The British Home Secretary, Sir Alec Douglas Home, declared in the House of Commons on July 20, that : "It is our Intention to give effect to the purpose of that agreement and we believe that as a consequence we should be ready to consider within that context applications for the export to South Africa of certain limited categories of arms, so long as they are for maritime defence directly related to the security of the sea routes."

The British Government have sought to justify their partial return to their former policy of supplying arms to South Africa on grounds of broad defence needs in relation to the security of the trade routs "which have grown in importance since the closure of the Suez Canal." But this strange strategic doctrine has no relation to existing realities. It conjures up a threat where none exists, and tries to cover up the fact that Britain will be arming the recist ragime of South Africa. Truth is that South Africa is today Africa's only military power, well--equipped with sophisticated arms and defence